

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 182/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रंथु भेंगरा
जिरेन आईन्द

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

31.08.21

आदेश


आवेदक रंथु भेंगरा पिता श्री जितुरम भेंगरा ग्राम-टाटी भेडरा टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने जिरेन आईन्द पिता श्री निरल आईन्द ग्राम-उडिकेल, जतरा टोली, थाना-तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है। जो निम्नांकित भूमि से संबंधित है:-


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
एरमेरे	63	24	409	0.15

अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 54 दिनांक 16.01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर क्रेता का ग्राम उडिकेल आवेदन में दर्ज है। जिसका थाना रनियां है। थाना भिन्नता के कारण भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।